

अध्याय – VII

मेसर्स लिमिटेड व मेसर्स श्याम इंटरनेट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

7.1 एस एस टी एल व एस आई एस एल की संक्षिप्त रूपरेखा

श्याम टेलीलिंक लिमिटेड (एस टी एल एल) को 20 अप्रैल 1995 को निगमित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान, एशिया की सिस्टेमा ज्वाइंट स्टॉक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने एस टी एल एल में नियंत्रण योग्य हिस्सेदारी प्राप्त कर ली और कम्पनी सिस्टेमा की सहायक कम्पनी बन गई। 31 मार्च 2008 को एस टी एल एल में सिस्टेमा की साझेदारी 73.74 प्रतिशत थी। 22 जनवरी 2009 से कम्पनी का नाम श्याम टेलीलिंक लिमिटेड से बदलकर सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लिमिटेड रख दिया गया। 31 मार्च 2015 को सिस्टेमा की शेयर होल्डिंग 56.68 प्रतिशत है व एस टी एल की नियंत्रक कम्पनी बनी रही।

श्याम इंटरनेट सर्विसेस लिमिटेड (एस आई एस एल) को 10 मई 2000 को निगमित किया गया था तथा पूरे देश में इंटरनेट की सेवाओं के परिचालन हेतु इसे नवंबर 2000 में श्रेणी 'ए' का लाईसेंस प्रदान कर दिया गया था। दिसंबर 2003 में कपनी ने, लाईसेंस को श्रेणी 'बी' में परिवर्तित कर दिया एवं नवंबर 2001 से कम्पनी ने व्यवसायिक रूप से अपनी सेवाएँ प्रारंभ कर दीं। कम्पनीएस एस टी एल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है।

7.1.1 एस एस टी एल व एस आई एस एल को प्रदान किये गये लाईसेंस

एस एस टी एल को 4 मार्च 1998 को राजस्थान सर्विस क्षेत्र हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा बैसिक टेलिफोन सेवाओं के लिए लाईसेंस दिया गया तथा 'रेनबो' के ब्रान्ड नाम से जून 2000 से जयपुर में अपना वाणिज्यिक कार्य आरम्भ किया।

दिनांक 11 नवम्बर 2003 को दूरसंचार विभाग के यूनीफाईड एक्सेस सेवाओं (बेसिक और सेल्युलर) के लाईसेंस (यू ए एस) के दिशानिर्देशों अनुसार 14 नवम्बर 2013 से कम्पनी यू ए एस में हस्तांत्रित हो गयी।

25 जनवरी 2008 को एस एस टी एल ने 21¹ टेलीकॉम परिमितियों हेतु यू ए एस प्राप्त कर लिए जिससे कि कम्पनी देश भर में अपनी सेवायें प्रदान करने हेतु लाईसेंसी बन गई।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 फरवरी 2012 के निर्णय से विभिन्न दूरसंचार संचालकों को 10 जनवरी 2008 को या उस के पश्चात लाईसेंस प्रदान किये गये 122 दूरसंचार लाईसेंसों को रद्द कर दिया। लाईसेंसों में एसएसटीएल के भी 21 परिमितियों के लाईसेंस सम्मिलित थे। इस आदेश के अंतर्गत राजस्थान परिमिति के एस एस टी एल (पूर्व में एस टी एल एल) द्वारा धारित लाईसेंस नहीं आए क्योंकि इन्हें दिनांक 10 जनवरी 2008 के पहले जारी कर दिया गया था।

¹ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, नार्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) व पश्चिम बंगाल

तत्पश्चात्, कम्पनी ने मार्च 2013 में दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लिया एवं भारत के आठ दूरसंचार परिमंडलों नामतः दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) व पश्चिम बंगाल में “स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार” 20 वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त कर लिया। 3 अक्टूबर 2013 को दूरसंचार विभाग ने यूनीफाईड लाईसेंस कम्पनी को उपरोक्त आठ दूरसंचार परिमंडलों के लिए एक्सेस सर्विसेस 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी की। 9 अक्टूबर 2013 को नीलामी की शर्तों के अनुसार दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम के प्रयोग के अधिकार को 20 वर्षों के लिए उक्त दूरसंचार परिमंडलों में आवंटित कर दिया।

3 सितम्बर 2014 को कम्पनी ने यूनीफाईड लाईसेंस के अंतर्गत राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल टी) की सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त किया।

श्याम इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड (एस आई एस एल) जो कि शत प्रतिशत एस एस टी एल की सहायक कम्पनी है, उसे 18 दिसम्बर 2003 को दूरसंचार विभाग द्वारा आईएसपी श्रेणी ‘बी’ लाइसेंस दिया गया।

7.1.2 एस एस टी एल को आवंटित स्पेक्ट्रम

एस एस टी एल प्राथमिक रूप से सीडीएमए (कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस) ऑपरेटर है। 31 मार्च 2015 को एल एस ए अनुसार एस एस टी एल को आवंटित स्पेक्ट्रम निम्नानुसार है:

तालिका- 7.1
एल एस ए अनुसार आवंटित स्पेक्ट्रम

| एल एस ए | आवंटित सीडीएमए स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में) | माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम | एमडब्ल्यू बैकबोन स्पेक्ट्रम |
|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| | | (मेगाहर्ट्ज में) ² | |
| दिल्ली | 3.75 | 112 | शून्य |
| गुजरात | 3.75 | 56 | शून्य |
| कर्नाटक | 3.75 | 112 | शून्य |
| केरल | 3.75 | 112 | शून्य |
| कोलकाता | 3.75 | 56 | शून्य |
| राजस्थान | 3.75 | 56 | शून्य |
| तमिलनाडु | 3.75 | 112 | शून्य |
| उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 3.75 | 112 | शून्य |
| पश्चिम बंगाल | 3.75 | 112 | शून्य |

नोट: (1) कम्पनी के पास राजस्थान एलएसए में 4.4 मेगाहर्ट्ज जीएसएम स्पेक्ट्रम था।

(2) कम्पनी के पास 2008-09 से 2011-12 में 2.5 मेगाहर्ट्ज सी डी एम ए स्पेक्ट्रम 21 एल एस ए (राजस्थान को छोड़कर) में था जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फरवरी 2012 में निरस्त किया गया था।

² एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

7.1.3 प्रतिवेदित सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व एवं एस एस टी एल द्वारा राजस्व के भोयर का भुगतान

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एल एफ व एस यू सी का भुगतान कुल समायोजित सकल राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में स्वमूल्यांकन के आधार पर तिमाही करने की आवश्यकता है। इन वर्षों के दौरान एस टी एल द्वारा प्रस्तुत की गई जी आर, कटौती, ए जी आर व राजस्व के शेयर (एल एफ एवं एस यू सी) के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैं:

तालिका – 7.2

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | अभिदाता आधार* (लाख में) | जी आर | कटौतियाँ | ए जी आर | ए जी आर का जी आर से प्रतिपात | राजस्व भोयर |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | (एल एफ+ एस यू सी) | |
| 2006-07 | 2.74 | 151.50 | 45.60 | 105.90 | 70 | 9.82 |
| 2007-08 | 2.67 | 128.11 | 48.09 | 80.01 | 62 | 7.45 |
| 2008-09 | 7.29 | 95.19 | 45.26 | 49.93 | 52 | 5.25 |
| 2009-10 | 38.50 | 237.03 | 84.60 | 152.43 | 64 | 15.94 |
| 2010-11 | 138.44 | 691.06 | 244.81 | 446.25 | 65 | 53.43 |
| 2011-12 | 207.00 | 1,390.02 | 366.99 | 1,023.04 | 74 | 124.79 |
| 2012-13 | 171.00 | 1,561.97 | 386.64 | 1,175.33 | 75 | 139.00 |
| 2013-14 | 90.90 | 1,192.21 | 326.53 | 865.68 | 73 | 96.79 |
| 2014-15 | 89.20 | 1,389.90 | 292.48 | 1,097.42 | 79 | 122.77 |
| कुल | | 6,836.99 | 1,841 | 4,995.99 | | 575.24 |

स्रोत: 1. एस एस टी एल के राजस्व और लाइसेंस फीस की विवरणी

* द्राइंग का 2007-08 से 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2012 में 21 परिमण्डलों के लाईसेंस निरस्त कर दिये गये थे। एस एस टी एल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपचारात्मक याचिका दायर की गई और 11 मार्च 2013 को 13 परिमण्डलों में दूरसंचार सेवाएं बन्द कर दी।

7.2 एस एस टी एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग करना

जैसा कि पैरा संख्या 1.2 में दर्शाया है जी आर में, संबंधित व्यय इत्यादि की मदों को समायोजित किये बिना उसमें दर्शाये गये सभी तरह के राजस्व, शामिल होंगे और जैसा पैरा 1.3 में कहा गया है सेवा राजस्व, सकल में दर्शाया जायेगा और कटौती/रिबेट का विवरण अलग से दर्शाया जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा एस एस टी एल के अभिलेखों/बही खाते (वाउचर, जनरल लेजर (जीएल), ट्रायल बैलेन्स (टीबी), लाभ-हानि खाते, बैलेंस शीट आदि) की जांच में प्रकट हुआ कि कम्पनी ने लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं किया था जैसा कि आगे के पैरा में बताया गया है:

7.2.1 कमीशन/छूट/माफी/फ्री एयरटाईम से संबंधित राजस्व को समायोजित करने के कारण राजस्व कम बताया जाना

एस एस टी एल से संबंधित वर्ष 2006-07 से 2014-15 के द्वायल बैलेन्स की जाँच दर्शाती है कि कुछ राजस्व खातों के शीर्ष जैसे प्राथमिक राजस्व माफी—राजस्व ए, प्राथमिक राजस्व वेवर—बेतार—ई—रिचार्ज, प्रीपेड राजस्व—एफएटी (फ्री एयर टाईम) बेतार, स्मार्टफोन फ्री एयरटाईम पी आर पी, प्राइमरी राजस्व वेवर—बेतार—पेपर रिचार्ज, राजस्व—फ्री डाटा (राजस्व—बी)—प्रीपेड, राजस्व—फ्री डाटा—पोस्टपेड, छूट वायरलाइन आदि डेबिट शेष था। डेबिट शेष की वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के वर्षों की ₹ 306.24 करोड़ की राशि समायोजित सेवा राजस्व थी। राजस्व से डेबिट शेष को समायोजित करने के परिणामस्वरूप, लेखापुस्तकों में राजस्व शुद्ध (निवल) रूप में आ रही थी।

राजस्व शीर्षों में डेबिट शेष की समेकित राशि और इसका एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव नीचे दिया गया है:

तालिका – 7.3

(₹ करोड़ में)

| राजस्व लेखा शीर्ष | राजस्व शीर्षों में डेबिट शेष | एल एफ पर प्रभाव | एस यू सी पर प्रभाव | अनुलग्नक संदर्भ |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| वितरकों को छूट/माफी ³ (वायरलैस पेपर रिचार्ज पर छूट, वायरलैस ई—रिचार्ज पर छूट, विक्रेताओं को छूट आदि) | 172.41 | 14.75 | 4.30 | 7.01 |
| फ्री एयरटाईम ⁴ (प्री—पेड राजस्व—एफ ए टी (फ्री एयरटाईम वायरलैस, स्मार्टफोन फ्री एअर टाईम प्रीपेड इत्यादि) | 133.01 | 11.15 | 3.32 | 7.02 |
| फ्री डाटा यूसेज प्रभार ⁵ (राजस्व फ्री डाटा, राजस्व डाटा प्रौसेसिंग फीस, स्मार्टफोन डाटा यूसेज प्रभार इत्यादि) | 0.82 | 0.08 | 0.02 | 7.03 |
| कुल | 306.24 | 25.98 | 7.64 | |

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि:

- जी एल को दो प्रमुख श्रेणियों में यथा ट्राई के टैरिफ प्लान के अनुसार ग्राहक को दिये गये अतिरिक्त टॉक टाईम की राशि ₹ 133.83 करोड़ (फ्री एयरटाईम व फ्री डाटा यूजेज प्रभार को समिलित करते हुए) व विक्रेताओं को ₹ 172.40 करोड़ की राशि के डिस्काउंट को (माफी/डिस्काउंट/विक्रेताओं को कमीशन को शामिल करते हुए) संक्षिप्तता व उचित स्पष्टीकरण के उद्देश्य के साथ पुनर्वर्गीकृत किया था।

³ वर्ष 2006-07 से 2007-08 में एस ए पी उपलब्ध नहीं था और प्रदान किये गये द्वायल बैलेन्स में लेखापरीक्षा द्वारा छूट के समायोजन को नहीं पाया गया।

⁴ वर्ष 2006-07 से 2007-08 में एस ए पी उपलब्ध नहीं था और प्रदान किये गये द्वायल बैलेन्स में लेखापरीक्षा द्वारा छूट के समायोजन को नहीं पाया गया।

⁵ वर्ष 2006-07 से 2008-09 में एस ए पी उपलब्ध नहीं था और लेखापरीक्षा द्वारा फ्री डाटा यूसेज प्रभार का समायोजन नहीं पाया गया।

- जिन जी एल को लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश में लाया गया, वे केवल ट्राई फार्झिलिंग के अनुसार अभिदाताओं को दिये गये अतिरिक्त टाक वैल्यू के लेखांकन के मद में केवल डेबिट शेष ही है। कुछ प्रीपेड टैरिफ योजनाओं में, अगर ग्राहकों को विशिष्ट मूल्य वर्ग के रिचार्ज वाउचरों द्वारा अतिरिक्त एयरटाईम उपलब्ध कराया जा रहा था तो अभिदाताओं द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किये गये टैरिफ राशि को अंत में राजस्व के रूप में लेखांकित की गयी। कम्पनी ने ग्राहकों से सकल प्राप्ति के कुल मूल्य की राजस्व के रूप में मान्यता दी और तदनुसार, दूरसंचार विभाग को दायर किये गये ए जी आर में एल एफ की राशि को सही ढंग से घोषित किया। सांकेतिक राजस्व की वह राशि जिसे कि ए जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहा गया वह लाइसेंस अनुबंध के अनुसार नहीं थी।
- विक्रेताओं को छूट के संबंध में, एस एस टी एल ने प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल (पी टू पी) आधार पर वितरकों के साथ एक पृथक समझौता किया और इसीलिए वितरकों को रिचार्ज वाउचरों की थोक खरीद पर ट्रेड मार्जिन का किया गया भुगतान एल एफ की गणना के उद्देश्य से वापिस नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

प्रबन्धन का तर्क मान्य नहीं था। राजस्व हिस्सेदारी के लिए कमीशन/छूट/माफी/फ्री एअर टाईम से सम्बन्धित राजस्व को घटाये जाने के तरीके पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण इस रिपोर्ट के पैरा 2.2.1 (अ और ब) में वर्णित किया गया है।

इस प्रकार वितरकों को छूट और एफ ए टी की राशि ₹ 306.24 करोड़ के समायोजन का परिणाम जी आर/ए जी आर को कम दिखाने और एल एफ के ₹ 25.98 करोड़ और एस यू सी के ₹ 7.64 करोड़ के कम भुगतान के रूप में हुआ।

7.2.2 जी आर/ए जी आर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ से राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार “सकल राजस्व में, सम्बन्धित व्यय इत्यादि के मद को समायोजित किये बिना, स्थापना शुल्क, बिलंब शुल्क और अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होगा। इसलिए, वसूल की गयी विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को सम्बन्धित व्यय के मद से समायोजित किये बिना राजस्व शेयर के उद्देश्य से विचार करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के पास विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि के लेखांकन की जटिल पद्धति थी। इसके पास दस जी एल कोड थे और यह पाया गया कि अलग की गई वसूली गई विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ जी एल में सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकतर विनिमय दर उतार-चढ़ाव लाभ/हानि कम्पनी द्वारा लिये गये विदेशी ऋण के सम्बन्ध में था।

इस सम्बन्ध में प्रबंधन ने यह भी बताया कि:

- परिभाषिक शब्दावली जैसे विनिमय दर उतार-चढ़ाव लाभ, अप्राप्त विनिमय दर उतार-चढ़ाव लाभ आदि जो जी एल अकाउन्ट कोड में दी गयी है, को लेखा परीक्षा अवलोकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी कम्पनी द्वारा कभी पुष्टि नहीं की गयी थी।
- “एस ए पी” लेखा पद्धति में कई प्रतिबन्ध और सीमाएं हैं और इस कारण से उनके परिभाषिक शब्दावली के अनुसार कई प्रविष्टियां लेखांकित नहीं की गयी थी।

विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ वैयक्तिक लेन–देनों से होते हैं और इस प्रकार वैयक्तिक लेन–देनों को जोड़ा नहीं जा सकता। वैयक्तिक अनुबन्ध के तंत्र के आधार पर विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि में परिवर्तन हो सकता है इसलिए हानियों को राजस्व शेयर के उद्देश्य के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार लेखा परीक्षा ने प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ के परिमाण के लिए उपर्युक्त बाधाओं पर विचार किया है और जी एल कोड जिसने लाभ एवं हानि खाते को प्रभावित किया, के आधार पर वर्ष 2009–10 से 2014–15 के दौरान बिना विदेशी मुद्रा विनिमय हानि के समायोजन के सभी क्रेडिट्स को लेते हुए, और पुनर्वर्गीकरण/संशोधन/पुनर्मूल्यांकन/अनुलिपिकरण से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियों को हटाते हुए प्राप्त लाभ की गणना की है। दस्तावेज, गणना और प्रबन्धन द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ की ₹ 6.41 करोड़ की राशि आगणित की गयी।

जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 2.2.5 में वर्णित है, लेखापरीक्षा प्रत्येक मद के मौलिक मूल्य के अभाव में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किये गये लाभ के अन्तर्गत लेखित मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सका। परिचालक को प्रत्येक मद के लाभ की गणना उसके लेखित आरम्भिक मूल्य पर करनी चाहिये और जी आर/ए जी आर में कुल विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को शामिल करना चाहिये।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि :

- राजस्व पहचान का एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-9, विशिष्ट रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को राजस्व की परिभाषा से अलग करता है।
- विनिमय अन्तर की लाभ/हानि काल्पनिक प्रकृति की है और ऐसे दायित्वों/ऋणों की कमी को, प्रचालन से राजस्व नहीं माना जा सकता। प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ समग्र व्यापार जोखिम है जिसे कम्पनी विदेशी मुद्रा लेन–देनों में उठाती है।
- टी डी सैट (अप्रैल 2015) ने कहा था कि प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ, ए जी आर में सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिए।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षण के मत नीचे दिये गये हैं:

- ए–एस 9 मात्र यह कहता है कि प्राप्त और अप्राप्त लाभ जो विदेशी विनिमय की दर में परिवर्तन और विदेशी मुद्रा वित्तीय विवरण के रूपान्तरण के कारण समायोजनों को इस मानक (ए एस–9) के उद्देश्य से “राजस्व” की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया था। विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि का वर्णन ए एस-11 के अन्तर्गत दिया गया है।
- कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण कर रही है और लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धान्त के अनुसार व्यापारिक परिसम्पत्तियों की दो भिन्न तिथियों के मध्य तुलना और उपार्जित प्राप्ति और व्ययों को लेने के उपरान्त “लाभ/हानि” की गणना की जानी चाहिए। लेखांकन की व्यापारिक पद्धति के अन्तर्गत, विनिमय अन्तरों के परिणामस्वरूप वहन किया गया विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ (राजस्व)/हानि (खर्च) तर्कसंगत है और आकस्मिक/काल्पनिक प्रकृति का नहीं समझा जा सकता। आगे, लेखा परीक्षा ने केवल प्राप्त लाभ पर ही विचार किया है।
- लेखापरीक्षा ने यह संज्ञान में लिया है कि डी ओ टी ने टी डी सैट के अप्रैल 2015 के निर्णय के विरुद्ध अपील की है। जबकि मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है,

लेखा परीक्षा का मत है कि विदेशी मुद्रा विनिमय लाभों को राजस्व शेयर के भुगतान के लिए गणना किये गये जी आर का भाग होना चाहिए क्योंकि यह लाइसेंस अनुबन्ध में दिये गये जी आर की विस्तृत परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

इस प्रकार लाइसेंस की शर्तों के अनुसार राजस्व शेयर के उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ की गैर-रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 से 2014-15 के लिए ₹ 6.41 करोड़ कम बताये गये जिससे एल एफ और एस यू सी का ₹ 0.55 करोड़ और ₹ 0.15 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक-7.04)।

7.3 राजस्व एवं एल एफ की विवरणियों (ए जी आर विवरणी) में राजस्व की कम रिपोर्टिंग यद्यपि बहीखातों में प्रतिवेदित किया गया

7.3.1 ए जी आर में अन्य आय पर विचार न किया जाना

लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सभी राजस्व आय को लाइसेंस फीस के उद्देश्य से जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तथापि, एस टी एल से सम्बन्धित वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लाभ व हानि खाता, ट्रायल बैलेंस और ए जी आर विवरणियों की जांच में पाया गया कि एल एफ और एस यू सी के उद्देश्य से कुछ राजस्व लेखा शीर्ष जैसे ब्याज आय, विविध आय और लाभांश आय जी आर से बाहर रखे गये थे।

फलस्वरूप, वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए डी ओ टी को प्रस्तुत किये गये राजस्व एवं एल एफ की विवरणियों में जी आर ₹ 383.14 करोड़ कम था। विवरण नीचे दिये गये हैं :

तालिका – 7.4

(₹ करोड़ में)

| कम राजस्व शीर्ष | ए जी आर के लिए विचार न की गयी/राशि |
|-----------------|------------------------------------|
| ब्याज आय | 380.55 |
| विविध आय | 2.54 |
| लाभांश आय | 0.05 |
| कुल | 383.14 |

एस टी एल प्रबन्धन ने कहा कि –

- कम्पनी के पास दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु लाइसेंस है तथा यह सेवाओं का प्रावधान/उपलब्ध करा कर राजस्व प्राप्त करती है। राजस्व, जो सेवाओं के प्रावधान से संबंधित नहीं है उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह कम्पनी की सामान्य गतिविधि में शामिल नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2011-12 के संदर्भ में, गैर-दूरसंचार गतिविधि (ट्रेजरी आय, अन्य आय, परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ इत्यादि) पर लाइसेंस शुल्क एस टी एल द्वारा भुगतान योग्य नहीं था, क्योंकि कम्पनी की इस आय का संग्रहण मुख्यतः ट्रेजरी गतिविधियों के कारण था।

- टी डी सैट ने 30 अगस्त 2007 को निर्णय दिया है तथा इसके अनुसार निवेश पर अर्जित ब्याज को लाइसेंस शुल्क हेतु जी आर/ए जी आर से बाहर रखना है। इस मुद्दे का समाधान ट्रेजेरी आय पर एल एफ/एस यू सी को लागू न करने के एक निर्णय द्वारा किया गया। टी डी सैट का निर्णय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 का निर्णय आने तक लागू रहा।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरांत, एस एस टी एल ने ब्याज व जुर्माने से बचने के लिए ट्रेजेरी आय इत्यादि पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से अब तक देय एल एफ एवं एस यू सी का भुगतान विरोध दर्ज करते हुए किया है तथा वर्तमान में यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का मत निम्नलिखित है :

- लाइसेंस अनुबंध स्पष्ट तौर पर जी आर/ए जी आर में ब्याज, लाभांश और अन्य विविध राजस्व को शामिल करती है।
- टी डी सैट का 30 अगस्त 2007 का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के उपरांत अमान्य हो चुका है।
- लेखापरीक्षा ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान एस एस टी एल द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान के लिए ₹ 135.09 करोड़ की धनराशि की ब्याज आय, विविध आय, लाभांश आय इत्यादि पर विचार किया तथा एल एफ एवं एस यू सी पर प्रभाव की गणना अधिशेष राशि ₹ 248.05 करोड़ (₹ 383.14 - ₹ 135.09 = ₹ 248.05) पर की है।

इस प्रकार वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक राजस्व शेयर के उद्देश्य हेतु अन्य आय की ₹ 248.05 करोड़ की राशि पर विचार न करने पर जी आर/ए जी आर को कम करके बताया गया तथा एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 21.79 करोड़ एवं ₹ 5.59 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक – 7.05, 7.06 एवं 7.07)।

7.3.2 एस यू सी की गणना करने हेतु कुछ राजस्व को शामिल न करना

यू ए एस एल अनुबंध के अनुच्छेद 20.4 में सन्दर्भित अनुलग्नक II के परिशिष्ट II में निर्धारित, राजस्व एवं लाइसेंस फीस की विवरणों (ए जी आर विवरणी) का फार्मेट, लाइसेंस अनुबंध का एक अभिन्न भाग है। विवरणी में मद 1 क में, “वायरलाइन अभिदाताओं से राजस्व” को प्रदर्शित करने हेतु और मद 7, 8, 9 तथा 11 में “शेयरिंग/अवसंरचना की लीजिंग, बैडविड्थ की बिक्री/लीज, लिंक्स, आर एवं जी प्रकरण, टर्नकी परियोजनाएं आदि” से राजस्व को प्रदर्शित करने हेतु निर्धारित किया गया है।

यू ए एस एल अनुबंध का अनुच्छेद 18.3 प्रावधान करता है कि “राजस्व शेयर पर आधारित स्पैक्ट्रम प्रभारों की उगाही करने के सीमित उद्देश्य हेतु ए जी आर की गणना करते समय वायरलाइन उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को लेखों में शामिल नहीं किया जाएगा”।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि एस एस टी एल (राजस्थान एस एल ए^६) के संबंध में वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक के लिए “वायरलाइन उपभोक्ताओं से राजस्व” के अलावा ₹ 40.22 करोड़ (अनुलग्नक -7.08) की धनराशि का राजस्व, संबंधित वर्षों में स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभारों (एस यू सी) की गणना करने हेतु शामिल नहीं किए गए जो लाइसेंस अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.22 करोड़ तक ए जी आर में कम करके बताए गए तथा फलस्वरूप एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि यू ए एस एल अनुबंध के अनुच्छेद 18.3 के निर्देशानुसार केवल वायरलेस अपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को ही एस यू सी की गणना में शामिल किया जाएगा। इसलिए लीज लाइन और अवसंरचना की साझेदारी से प्राप्त राजस्व, आई यू सी तथा ट्रेजरी आय को एस यू सी की गणना करने के लिए शामिल नहीं किया जाना है।

प्रबंधन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि यू ए एस एल अनुबंध के अनुच्छेद 18.3 की शर्तों के अनुसार केवल वायरलाइन उपभोक्ताओं (विवरणी की मद संख्या 1 अ) से प्राप्त राजस्व को स्पैक्ट्रम प्रभारों से बाहर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अवसंरचना की साझेदारी/पट्टा, बैंडविड्थ की बिक्री/पट्टा, लिंक, आर एंड जी मामले, टर्नकी परियोजनायें इत्यादि से राजस्व, विवरणी के मद 7, 8, 9 एवं 11 में है, इस लिये उपरोक्त राजस्व, स्पैक्ट्रम प्रभारों को भी गणना में शामिल होना चाहिए।

इस प्रकार लीज लाइन, अवसंरचना की साझेदारी से प्राप्त राजस्व तथा ट्रेजरी आय को सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 40.22 करोड़ का जी आर/ए जी आर कम करके बताया गया तथा फलस्वरूप एस यू सी का ₹ 0.91 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

7.4 एल एफ और एस यू सी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलों (पैरा 7.2 से 7.3) पर एल एफ और एस यू सी के कम/गैर भुगतान की क्रमशः ₹ 48.32 करोड़ और ₹ 14.29 करोड़ की राशि की गणना की गई। एल एफ और एस यू पी की इस कम/गैर-भुगतान पर ₹ 54.10 करोड़ ब्याज होता है (अनुलग्नक-7.09)। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित थी जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में लागू भारतीय स्टेट बैंक के प्राईम लैंडिंग रेट से 2 प्रतिशत अधिक थी और गणना के लिए ली गयी अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से मार्च 2016 तक थी जैसा कि लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित है। ब्याज मासिक चक्रवृद्धि आधार पर लिया गया है।

7.5 एस एस टी एल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने के मापदण्डों के सम्बन्ध में लाइसेंस अनुबंध का पालन न करना

राजस्व शेयर के उद्देश्य से यूनिफाईड एक्सेस सर्विस लाइसेंस और यूनिफाईड लाइसेंस अनुबन्ध अनुलग्नक-III (डी ओ टी और एस एस टी एल के मध्य) सेवा प्रदाता द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने के मापदण्डों का प्रावधान करता है।

⁶ इस प्रकार का प्रेक्षण अन्य एल एस ए में नहीं पाया गया क्योंकि एस एस टी एल द्वारा उन एल एस ए में वायरलाइन सेवाएं प्रदान नहीं किया गया था।

मापदण्डों के अंतर्गत कुछ प्रमुख आवश्यकताएं नीचे दी गयी हैं:

- सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल दिखाया जायेगा और छूट/रिबेट को अलग दर्शाया जायेगा।
- आय का मदवार विवरण सम्बन्धित व्यय के विरुद्ध समायोजित किया गया है।
- प्रत्येक कैटेगरी के लिए सुरक्षा या अभिदाताओं से लिया गया कोई अन्य जमा अलग से दिखाया जायेगा और राशि जो रिफण्ड के लिए देय हो चुकी है किन्तु अभी भुगतान की जानी बाकी है, को दो कैटेगरी, नामितः (1) 45 दिनों तक (2) 45 दिनों से अधिक, में दिखायी जानी है।
- पूर्व वर्षों के डेबिट वापसी के विवरण यदि कोई हो, को विविध शीर्ष के अंतर्गत (अशोध्य ऋणों की वसूली आदि) घटक वार दिखाये जायेंगे।

प्रबंधन से लाइसेंस अनुबंध के अंतर्गत तैयार किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों को प्रदान करने हेतु कहा गया। प्रबंधन ने उत्तर में कहा कि चाही गयी जानकारी को जी एल/फाईनेंशियल में दिखाया गया है और लाइसेंस अनुबंध के मापदण्डों के अनुसार तैयार की जाने वाली आवश्यक कोई सूचना अलग से नहीं दी है।

ये वित्तीय विवरणियां/खाते (जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाभ—हानि खाते, बैलेंस शीट) कम्पनी अधिनियम और भारतीय लेखांकन मानक (इंडियन एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड) के अनुसार तैयार किये गये हैं किन्तु लाइसेंस अनुबंध के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने के मापदण्डों के अंतर्गत तैयार की जाने वाली आवश्यक सूचना, सीधे तौर पर प्रदान नहीं करती है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित, राजस्व के कम बताये गये उदाहरण पुष्टि करेंगे कि लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए माने गये राजस्व न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थे और न ही खातों की तैयारी, डी ओ टी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप थी। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

- मापदण्डों के अनुसार, राजस्व को बिना किसी कटौतियों के सकल में दिखाया जाना था। तथापि जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ में दिये गये विवरण से देखा जा सकता है कि छूट/कमीशन/माफी, फ्री एयरटाइम, आदि राजस्व से समायोजित किये गये थे तथा डी ओ टी को नहीं बताये गये थे।
- पैराग्राफ 2 में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व को पुनर्वर्गीकरण प्रविष्टियों द्वारा समायोजित किया गया था। यह, बिना समायोजन के सकल राजस्व के आंकड़े प्रदान करने के निर्धारित मापदण्डों के अनुपालन न करने के कारण था।

पी एस पी के द्वारा अनुबंध की इन शर्तों के अनुपालन न करने पर डी ओ टी से उनकी प्रतिक्रिया के लिए पूछा गया था। डी ओ टी ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया।

उपर्युक्त परिदृश्य में डी ओ टी वर्षों से सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक—III के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणी तैयार करने के मापदण्डों, जो कि महत्पवूर्ण थे, के अनुपालन के लिए निर्देश

जारी और लागू कराने में असफल रहा। फलस्वरूप, वर्ष 2006-07 से 2014-15 की अवधि में कम्पनी ने अपने राजस्व को समायोजित किया और डी ओ टी इसका पता नहीं लगा सका।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक एस एस टी एल का जी आर ₹ 6,837 करोड़ था, दावा की गयी कटौती ₹ 1,841 करोड़ थी और औसत कटौती प्रतिशत जी आर का 27 प्रतिशत निकाला गया। यद्यपि एस एस टी एल द्वारा 2006-07 से 2014-15 के नौ वर्षों में दावा की गयी औसत कटौती 30 प्रतिशत के अंदर थी तथापि सम्बन्धित नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) द्वारा, कम्पनी द्वारा दावा की गयी कटौतियों का सत्यापन अभी तक तिमाही और एल एस ए अनुसार किया गया था। तथापि, डी ओ टी स्तर पर अधिकांश राजस्व अर्थात् सकल राजस्व का 70 प्रतिशत, कम्पनी द्वारा स्व-घोषित राजस्व के आधार पर ही निर्धारण किया गया है।

डी ओ टी की एल एफ विंग भी, एस एस टी एल द्वारा लाइसेंस अनुबन्ध के अनुलग्नक-III के अनुसार तैयार की जानी वाली सूचना को प्राप्त करने में असफल रहा और इन डाटा की अनुपलब्धता, सत्यापन और निर्धारण को अप्रभावी कर देती है।

इस प्रकार सेवा प्रदाता के राजस्व शेयर का सम्पूर्ण सत्यापन और निर्धारण उनके जी आर के बजाय सेवा प्रदाताओं द्वारा दावा की गयी कटौतियों के सत्यापन पर ही केन्द्रित है।

एस एस टी एल से सम्बन्धित एल एफ और एस यू सी के लिए सत्यापन, निर्धारण और मांग पत्रों को जारी करने का मामला डी ओ टी द्वारा क्रमशः केवल 2012-13 और 2011-12 तक पूरा कर लिया गया है। निर्धारण करने और मांग पत्रों के जारी करने में विलम्ब से, सेवा प्रदाता के देय की वसूली करने में आगे भी देरी होगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि:

- लेखापरीक्षकों का यह निष्कर्ष कि एस एस टी एल लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार नहीं कर रहा है, तथ्यात्मक रूप में सही नहीं है। यह कहा गया कि एस एस टी एल लाइसेंस अनुबंध के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करता है।
- लेखापरीक्षा के प्रेक्षण कम्पनी के द्वारा रखे जा रहे वित्तीय बही-खातों से निर्धारित किया गया है और यह इस तथ्य को पहचानने में असफल रहा कि ऐसे प्रेक्षण का कारण, पूर्ण रूप में सकल राजस्व के घटक पर व्याख्या पर लम्बी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया है जो अभी तक निर्णय के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा के विचार नीचे दिये गये हैं:

- प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने ए एस और कम्पनी अधिनियम के अनुसार बही-खाते तैयार किये हैं। अनुलग्नक-III की आवश्यकता भिन्न है जैसे कि तीन अनुमत योग्य कटौतियों के अलावा राजस्व से समायोजन अनुमत नहीं है और इस प्रकार, कम्पनी ने लाइसेंस अनुबंध की शर्तों का अनुलापन नहीं किया।

- इसलिए लेखापरीक्षा को ए जी आर के निर्धारण के लिए बही-खातों की विस्तृत जांच करनी पड़ी और जैसा कि पूर्व के पैराओं में इंगित किया गया है और इस प्रक्रिया में राजस्व की कम रिपोर्टिंग और कटौतियों का अधिक दावा पाया गया। यदि कम्पनी ने लाइसेंस अनुबंध के अनुसार बहीखातों को तैयार किया होता तो कम्पनी का जी आर/ए जी आर के उद्देश्य से कटौतियों के साथ समर्त राजस्व सरलता से उपलब्ध होता।

7.6 डी ओ टी/एस टी एल का लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों पर उत्तर

मैसर्स एस एस टी एल द्वारा देय राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को डी ओ टी और एस एस टी एल को उनकी अग्रिम टिप्पणियों के लिए सितम्बर 2016 में भेजा गया। डीओटी ने पैरा 2.4 में वर्णित सभी टीएसपी का समेकित उत्तर (फरवरी 2017) प्रस्तुत किया। एस एस टी एल ने पुनः (सितम्बर 2016) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर सामान्य टिप्पणियों एवं विशिष्ट टिप्पणियों के साथ अपने उसी उत्तर को दोहराया है जो परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर में कही थी।

लेखापरीक्षा ने एस एस टी एल द्वारा दिये गये सभी उत्तरों पर विचार किया और उसे सम्बन्धित पैरा में सम्बोधित किया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक : 22 मार्च 2017

(पी के तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 24 मार्च 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक